मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2016 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 (अग्रहायण 18, 1938)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का 87 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 एवं तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य, सीधी एवं सिंगरौली जिले में गरीबी रेखा के हितग्राहियों के नाम काटे जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री जितू पटवारी, सदस्य, मध्यप्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दर वृद्धि हेतु प्रस्ताव किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के नौगांव में निर्माणाधीन छात्रावास का कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगौन जिले में सिकलसेल नामक बीमारी का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(5) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे, सदस्य, प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने संबंधी शर्त के कारण अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(6) श्री रमेश मेंदोला, सदस्य, इंदौर में प्रोजेक्ट उदय के तहत बनी टंकियों से पानी का वितरण न किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्रीमती पारूल साहू केशरी, सदस्य, सागर जिले के सुरखी क्षेत्र में पुल निर्माण में वैकल्पिक मार्ग न होने से दुर्घटनाएं होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(8) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के सातनारी जलाशय की स्वीकृति न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में अनियमितताएं किये जाने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री कैलाश चावला, सदस्य, नीमच जिले के रामपुरा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में स्टाफ की कमी होने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री रमेश मेंदोला, सदस्य, इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरित आवासीय कालोनी में विकास कार्य पूर्ण न किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के गोरा जलाशय मछुआरों को मछली पालन हेतु न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के गुढ़ में निर्माणाधीन स्टेडियम का कार्य पूर्ण न होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री के.पी. सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के मालनपुर स्थित सूर्या रोशनी उद्योग में महिलाओं का शोषण किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य, सीधी एवं सिंगरौली जिले में बिगड़े विद्युत ट्रांसफार्मर न बदले जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के बचई स्थित महाकौशल शुगर मिल द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे

(17) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य, नागदा क्षेत्र में स्टाप डेम का निर्माण न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य, मंडला जिले के ग्राम विजयपुर के बैगा आदिवासियों को सरकार की योजना का लाभ न दिये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री के. पी. सिंह, सदस्य, दतिया जिले के राजघाट नहर का निर्माण मानक स्तर का न होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम बांधी में नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) पंडित रमेश दुबे, सदस्य, इटारसी नगर स्थित नजूल की भूमि पर काबिज लोगों से लीज रेंट न लिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, सिंहस्थ के दौरान अपूर्ण कार्यो को पूर्ण न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री जितू पटवारी, सदस्य, इंदौर स्थित स्वदेशी मिल की जमीन को कम कीमत पर बेचे जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का बीसवां, इक्कीसवां, बाईसवां एवं तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, कृषि विकास समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम विजयसोता की माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(2) श्री कैलाश चावला, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम आत्री बुजुर्ग में हायर सेकेण्ड्री भवन का निर्माण कराये जाने,
(3) श्री कालूसिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के शासकीय कन्या हाई स्कूल नालछा का उन्नयन कन्या उच्चतर मा. विद्यालय में किये जाने,
(4) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के सागर तिलकगंज वार्ड स्थित नालंदा स्कूल के पास नाली निर्माण कराये जाने,
(5) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम पंचायत भादवामाता में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(6) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य, रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र में नील गायों द्वारा फसलों को बर्बाद होने से बचाये जाने,
(7) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम ढसलगांव में प्रा. वि. भवन निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने,
(8) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के अमिलिहा का पूर्व माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(9) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम हीरापुर में नर्मदा नदी पर पुल एवं सड़क निर्माण कराये जाने,
(10) श्री कुँवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम कोड़ियाखेड़ी में पक्का नाला निर्माण कराये जाने,
(11) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के परियट नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
(12) श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य, भोपाल के वार्ड क्र. 80 एवं 81 बंजारी चौराहे से कान्हाकुंज तक रोड एवं नाली निर्माण कराये जाने,

(13) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मन्दसौर जिले के ग्राम बोरवनी में डेरा रास्ते पर पुलिया व स्टापडेम के निर्माण स्वीकृत करने,
(14) श्री घनश्याम पिरौनियाँ, सदस्य, दतिया जिले के भाण्डेर में आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाये जाने,
(15) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम बैरागढ़ से झांमर, भिम्मखेड़ी, सुजानपुर तक सड़क बनाये जाने,
(16) श्री मनोज कुमार अग्रवाल, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत पकरिहा हरिजन बस्ती में पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने,
(17) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा गाडरवारा मार्ग के मोड़ों को सुधार कर सीधा रास्ता बनाये जाने,
(18) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के धनवासकलां हाई स्कूल का भवन बनाये जाने,
(19) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के नेवर गांव से भालेवाड़ा मार्ग पर पुल निर्माण कराये जाने,
(20) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम विजरई मुख्य मार्ग से पठाघाट तक सड़क एवं ॉ पुलिया निर्माण किये जाने,
(21) कुँवर विक्रम सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम गोमाकला में छोटा पुल निर्माण करने,
(22) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के नवचण्डी मेला उत्सव समिति को शासकीय अनुदान प्रदान करने,
(23) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के नौगांव व गौरिहार के शासकीय मा. शाला अमां एवं अन्य शालाओं की बाउण्ड्रीवाल बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने,
(24) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिले के ग्राम भोरां से रातीखान तक सड़क एवं पुलिया निर्माण,
(25) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले के मझौंली में खेल मैदान हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध कराये जाने,
(26) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम बखारी के शासकीय माध्यमिक शाला भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कराने,
(27) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम मुआस्या में नाले पर रपटा (पुलिया) बनाये जाने,
(28) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के खिरसाडोह से देवरीढाना तक मार्ग का निर्माण कराये जाने,
(29) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम बिलाई में पुलिस चौकी खोले जाने,
(30) श्री महेश राय, सदस्य, सागर जिले के ग्राम देहरी के हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन करने,
(31) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के श्योपुर पाली मार्ग से ग्राम जाटखेड़ा तक नवीन डामर रोड बनाये जाने,
(32) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम सलेहपुर के नाले पर पुलिया निर्माण करने,
(33) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के ग्राम नेशकला से बड़ी मुरैली तक सड़क बनाये जाने,
(34) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के सटई नगर के शा. उ. मा. विद्यालय हेतु नवीन भवन स्वीकृत करने,
(35) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम बरौली ठकुरान प्राथमिक पाठशाला का उन्नयन हाई स्कूल में करने,
(36) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, शाजापुर जिले की सुसनेर तह. मो.बड़ोदिया की 19 ग्राम पंचायतों एवं 34 ग्रामों को जिला आगर-मालवा में शामिल करने,
(37) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम सावाराखेड़ी के शनि मंदिर तक नदी के किनारों पर पक्के घाट बनाये जाने,
(38) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य, सिंगरौली जिले के ग्राम बहेरी बलुहवा नाला में पुल निर्माण कराये जाने,
(39) श्री सुखेन्द्र सिंह "बन्ना", सदस्य, रीवा जिले के सेठ रघुनाथ प्रसाद महाविद्यालय हनुमना को ट्रेजरी पेमेन्ट हेतु शासनाधीन करने,
(40) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम केरवना में हाई स्कूल की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने,
(41) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम कोटल्याखेड़ी में विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने,
(42) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम सुखदेवपुरा को राजस्व ग्राम बनाये जाने,
(43) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के ग्राम चरगुवा से सरदई तक पक्की डामरीकृत सड़क निर्माण करने,
(44) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले के गाम पंचायत निवाली को नगर पंचायत बनाये जाने,
(45) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य, विदिशा जिले के पूर्वी रेलवे कालोनी में नेपालसिंह यादव के घर के पास एक नवीन हैण्डपंप लगाये जाने,
(46) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, सदस्य, धार जिले के ग्राम फिफेड़ा में मेन रोड से हाई स्कूल तक रोड निर्माण करने,
(47) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य, रीवा जिले के शा. हाई स्कूल रामपुर नईगढ़ी को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन करने,
(48) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम कोडार में जोहिला नदी पर पुलिया निर्माण,
(49) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य, गुना जिले के ग्राम पंचायत साबरीनाथ को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,
(50) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल जिले के पुराने भोपाल के शहरवासियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री जगदीश देवड़ा, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए."

निर्धारित समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. (1) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 32 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (2) श्री रुस्तम सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 27 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (3) श्री शरद जैन, राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 28 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (4) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 29 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (5) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 31 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

8. अशासकीय संकल्प

(1) श्री दिनेश राय "मुनमुन", सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "सदन का यह मत है कि बिजली की अपहुंच वाले क्षेत्रों में ग्राम पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्रमश: सौर ऊर्जाकृत किया जाए.".

(2) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि देवास जिले की खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में निवासरत ढोली (बैंड बजाने वाले) एवं घट्टीया (पत्थर के सिलबट्टे बनाने वाले) समाज को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाए.".

(3) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में मुडिया जाति को अनुसूचित जनजाति के समान मिलने वाली अन्य सभी सुविधायें प्रदान की जाएं.".

30 मि. (4) सर्वश्री सुदेश राय, जितेन्द्र गेहलोत, श्रीमती सरस्वती सिंह, सर्वश्री दिलीप सिंह शेखावत, के.के.श्रीवास्तव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि –

(1) बलसाड़ से होकर पुरी को जाने वाली ट्रेन क्रमांक 22909/22910 का स्टापेज सीहोर स्टेशन पर किया जाए तथा भोपाल से यात्रियों को आरक्षण कोटा दिया जाए,

(2) जम्मूतवी यात्री गाड़ी क्रमांक 12477/12478 एवं 12475/12476 का दो मिनिट का स्टापेज विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन पर किया जाए,

(3) सिंगरौली से चितरंगी रेल लाईन का विस्तार किया जाए,

(4) प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र नागदा में निवासरत परिवारों के आवागमन के लिये गाड़ी क्रमांक 15667,19053,19061 तथा 19021 एवं गाड़ी क्रमांक 15108 छपरा-मथुरा व 12183 भोपाल- प्रतापगढ़ का संचालन नागदा तक किया जाए, तथा

(5) (i) खजुराहो से इन्दौर (वाया छतरपुर-टीकमगढ़-भोपाल) (ii) खजुराहो से नागपुर (वाया टीकमगढ़-बीना-भोपाल) (iii) भोपाल से लखनऊ (वाया ललितपुर-टीकमगढ़-खजुराहो-महोबा) नई ट्रेन चलाई जाये तथा (iv) तुलसी एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 03 दिन खजुराहो-छतरपुर एवं टीकमगढ़ होकर चलाई जाए.".

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 8 दिसम्बर, 2016